(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 49/2023 (97/2012) (रेफरेन्स प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 13.09.2023 (13.08.2012)

1. टोडा सिंह पुत्र गोपाल सिंह
2. हजारी सिंह पुत्र दान सिंह

समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी ग्राम भैंसलाना, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़।

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली।
2. नारायण सिंह
3. भगवान सिह
4. दशरथ सिंह
5. नन्दा सिंह
6. रतन सिंह पुत्रान स्व. सतीदान सिंह समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी भैंसलाना तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़।
7. तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।
8. रामू सिंह पुत्र दान सिंह जाति राजपूत निवासी भैंसलाना तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ राज0।

– **अप्रार्थीगण**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5

निर्णय

दिनांक 11.06.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 13.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. संक्षेप में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मैसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रील लि0 के लिये ग्राम अजीतपुरा कलां महरमपुर नवाब, भैंसलाना, कुजोता तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ में सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जिसके तहत रेफरेन्सकर्ता/प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 280 ग्राम भैंसलाना, पटवार क्षेत्र भैंसलाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांतिल, तहसील कोटपूतली पर प्रार्थीगण पुर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण आदि भी किया हुआ है इसलिए उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण/रेफरेन्सकर्ता को दिलवाया जावें लेकिन सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाते हुए मुआवजा राशि खातेदारान के नाम जारी कर दी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व मौके के कब्जे की स्थिति नही मंगवाई गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण/रेफरेन्सकर्ता परिवार सहित काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण से उक्त भूमि के ना तो दस्तावेज प्राप्त किये ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/रेफरेन्सकर्ता द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि अवाप्ति अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 04 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
3. पत्रावली में उभय पक्ष के द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होने से प्रकरण का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।
4. प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है खसरा नम्बर 280 ग्राम भैंसलाना, पटवार क्षेत्र भैंसलाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांतिल, तहसील कोटपूतली पर प्रार्थीगण पुर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण आदि भी किया हुआ है इसलिए उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण/रेफरेन्सकर्ता को दिलवाया जावें तथा अप्रार्थीगणों को पाबन्द किया जावे कि वह मुआवजा राशि को ना तो वितरित करें ना ही कोई कार्यवाही करें। अप्रार्थीगण संख्या 04 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कानूनन किसी व्यक्ति द्वारा भू–अवाप्त अधिकारी के निर्णय अनुसार मुआवजा निर्धारित किये जाने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु चाराजोही करने के लिए उन्हे सक्षम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। श्रीमान जिला कलक्टर को महज अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे में कमी/वृद्धि या राशि में सुधार हेतु ही आवेदन किया जा सकता है।
5. प्रकरण में पाया गया कि अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 280 ग्राम भैंसलाना तहसील कोटपूतली अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खातेदारो के नाम अवार्ड जारी किया गया है। हम अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्ति से पूर्णतया साबित है कि कानूनन किसी व्यक्ति द्वारा भू–अवाप्त अधिकारी के निर्णय अनुसार मुआवजा निर्धारित किये जाने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु चाराजोही करने के लिए उन्हे सक्षम सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, इस न्यायालय को महज अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे में कमी/वृद्धि या राशि में सुधार हेतु ही आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब पूर्ण रूप से चस्पा होने से अप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार में नही होने से खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष/भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़